

प्रारूप -7

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन

शासकीय निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के प्रपत्र

सोसाइटी का नाम और पूरा पता :- स्व श्री जे एन सिंह हाडा शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रसार समिति
15/77 सिविल लाइन थाना के सामने पन्ना रोड छतरपुर





जिला - छतरपुर (म.प्र.)

आपन क्रमांक तथा तारीख :- SC/4316

दिनांक 27.03.2004

साधारण निकाय के वार्षिक सम्मेलन की तारीख :- 16.05.2019

विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल तारीख :- 16.05.2019 से तारीख 15.04.2022 तक

नाम, पिता/पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
रामराज सिंह पिता श्री स्व श्री जगन्नाथ सिंह	न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी पन्ना रोड छतरपुर (म.प्र.)	अध्यक्ष	रिटायर्ड प्रधानाध्यापक	
बलबल सिंह पिता श्री रामराज सिंह	सीताराम कालोनी छतरपुर (म.प्र.)	उपाध्यक्ष	शासकीय सेवा	
शैलेंद्र सिंह पिता श्री रामराज सिंह	न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी पन्ना रोड छतरपुर (म.प्र.)	सचिव	शासकीय सेवा	
दिलीप सिंह पिता श्री रामराज सिंह	सिविल लाइन थाना के सामने छतरपुर (म.प्र.)	कोषाध्यक्ष	अशासकीय सेवा	दिलीप सिंह
अनुरेश्वर त्रिपाठी पिता श्री सुब्रह्मण्य प्रसाद त्रिपाठी	सिचाई कॉलोनी छतरपुर (म.प्र.)	सं. सचिव	गाइड	
बलवंश सिंह पिता श्री	सिविल लाइन	सदस्य	कृषि	

सूची के अधिकार के सहित प्रस्तुत


सूची के अधिकार के सहित प्रस्तुत


प्रताप शंकर सिंह	थाना के सामने छतरपुर (म.प्र.)			Kamboj
रुद्र प्रताप सिंह पिता श्री रणवीर सिंह	सिचाई कॉलोनी छतरपुर (म.प्र.)	सदस्य	व्यवसायी	R.P. Singh

6. मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन 1000. रूपये की वार्षिक फीस, चालान क्रमांक 08319 दिनांक 02.01.2020 के द्वारा जमा कर दी गई है। उसकी मूल प्रति संलग्न है।

घोषणा

मैं रामराज सिंह पुत्र स्व श्री जगन्नाथ सिंह आयु लगभग 79 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में पदावधि द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी उपर्युक्त जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में हैं। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है, तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी ही रहूँगा।

हस्ताक्षर 

विराट के अधिकार के तहत हस्ताक्षर

 क्षेत्रीय/राज्य/राज्य/सहायक क्षेत्रीय अधिकारी
 वि.प्र.सं./सं.प्र.सं. संख्या एवं संख्याएँ तालार संभाव तालार

नाम :- रामराज सिंह
 व्यवसायी
 स्व. (अध्यक्ष/सं.प्र.सं.) द्वारा
 शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रसार समिति
 छतरपुर (म.प्र.)